दैनिक जागरण

23 NOV 2023

Page No.

सुप्रीम कोर्ट से मांग, मुफ्त रेवड़ियों को माना जाए भ्रष्टाचार

- मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं के मामले में शुरू हुई सुनवाई
- याचिकाकर्ता की दलील- इसे जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 में माना गया है भ्रष्ट आचरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चुनाव के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त रेवड़ियों की घोषणाओं को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 में भ्रष्ट आचरण यानी भ्रष्टाचार या मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को ऐसे राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने और उनकी मान्यता रद करने की शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

बुधवार को सुनवाई में आम आदमी पार्टी की ओर से याचिका का विरोध किया गया। पार्टी के वकील का कहना था कि इस याचिका में मुफ्त रेवड़ियों के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं को निशाना बनाया गया है। लेकिन, याचिका का समर्थन करने वाले एक हस्तक्षेपकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मुफ्त रेवड़ियों और कल्याणकारी योजनाओं में अंतर है। जैसे जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के कर्ज माफ करना या धर्म विशेष से जुड़ी मुफ्त चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुफ्त रेवड़ियों का विरोध किया है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त घोषणाओं पर रोक लगनी चाहिए। मुफ्त रेवड़ियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एस. सुब्रमण्यम बालाजी का फैसला है, जिसमें इसे जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल उठाया गया है और उस पर पुनर्विचार की मांग की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे की जटिलता, व्यापकता व पूर्व फैसले को देखते हुए 26 अगस्त, 2022 को यह मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिए भेज दिया था।

बुधवार को यह मामला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगा था। उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा कि सुब्रमण्यम बालाजी मामले में दिया गया फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-123 में रिश्वत को भ्रष्ट आचरण माना गया है। इस धारा में रिश्वत का मतलब है उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति से किसी और व्यक्ति द्वारा मतदाता को प्रलोभन के लिए कोई उपहार या वादा किया जाना। राजनीतिक दलों द्वारा किया गया वादा रिश्वत के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे कानून में भ्रष्ट आचरण कहा गया है। साथ ही कानून में दी गई अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो यह धारा 100(1)(बी) में चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार है। इसी तरह धारा 123(2) में मताधिकार को अनुचित रूप से प्रभावित करना भ्रष्ट आचरण है, यदि उम्मीदवार या उसके एजेंट या उसकी सहमति से किसी और ने अपरोक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा करने का प्रयास किया है। हंसारिया ने जब सुब्रमण्मयम बालाजी फैसले में कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या को गलत बताया तो प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या पार्टी को व्यक्ति माना जा सकता है? इस पर हंसारिया ने कहा कि राजनीतिक दल और कुछ नहीं, बल्कि व्यक्तियों का समूह हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कानून का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। मामले पर आगे सुनवाई गुरुवार को होगी।

पंजाब केसरी

Page No. 4 23 NOV 2023

'क्या एलएमवी लाइसेंस धारक हल्के परिवहन वाहन चला सकते हैं?

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से इस सवाल पर अगले साल 17 जनवरी तक स्पष्ट रोडमैप देने को कहा कि क्या लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को एलएमवी श्रेणी के परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत है?सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा ने कहा कि वह कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को जल्द हल करने की जरूरत है। यह अदालत मुकुंद देवांगन की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार कर रही है, जिसमें फैसले की शुद्धता पर संदेह किया गया है। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र से जल्द से जल्द अपनी नीति की समीक्षा करने को कहा। संक्षिप्त सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश एजी आर. वेंकटरमणी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कई प्रावधानों पर फिर से विचार करने की जरूरत है और केंद्र सरकार कानून में संशोधन पर सभी राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श कर रही है।

- **एलएमवी चालक क्या खास वजन वाला परिवहन वाहन चलाने का हकदार है**
- **केंद्र इस प्रक्रिया को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाए**

मुद्दा हल करने के लिए दबाव डाला

एजी वेंकटरमणी ने कहा, वास्तव में, मैंने (केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग) मंत्रालय पर फरवरी में संसद के अगले बजट सत्र से पहले इस मुद्दे को हल करने के लिए दबाव डाला है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा : "अगर केंद्र सरकार जोर देती है, तो मुझे यकीन है कि प्रतिक्रिया (राज्य सरकारों द्वारा) तेजी से आएगी और अगर सरकारें इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि मामला थोड़ी देर में सामने आने वाला है, तो शायद यह थोड़ा तेजी से आगे बढ़ सकता है। संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान, सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित समय-सीमा का पालन करना चाहिए।

2

अमर उजाला

23 NOV 2023

Page No. 1

कॉलेजियम ने दुर्भावना से किया था तबादला : जस्टिस प्रीतिंकर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने लगाया आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त होने पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने विदाई समारोह में मंगलवार को आरोप लगाया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दुर्भावना से उनका तबादला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया था। उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कॉलेजियम के प्रमुख थे।

चीफ जस्टिस दिवाकर ने कहा, मैं 31 मार्च, 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज बना। सभी के लिए और खासतौर पर अंतरात्मा के लिए, संतोषजनक तरीके से कर्तव्य पूरे किए, लेकिन फिर देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मुझ पर कुछ ज्यादा प्यार बरसाया, अचानक मेरे साथ अलग-अलग घटनाएं होने लगीं। मुझे वजह नहीं पता, मेरा तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों किया गया? मैंने तीन अक्तूबर, 2018 से यहां काम शुरू किया। मुझे लगता है कि मेरे तबादले का आदेश परेशान करने के लिए दुर्भावना से जारी किया गया था।

उल्लेखनीय है कि हाल में कलकत्ता से पटना हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस बिबेक चौधरी ने भी सोमवार को अपने विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर गुस्सा जताया था। उन्होंने आपातकाल के बाद एक साथ 24 जजों के तबादलों की बात कहते हुए चेताया था और इसे इस बात का संकेत बताया था कि अब शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका की ओर खिसक रही है।

हाईकोर्ट में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा

चीफ जस्टिस दिवाकर ने कहा कि बाहर रहकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कामकाज को लेकर कई लोग आलोचनाएं करते हैं। उन लोगों को अंदर से कामकाज को देखना चाहिए। यहां बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है।

सीजेआई ने अन्याय को दूर किया

चीफ जस्टिस दिवाकर ने कहा, मुझे मिला श्राप सौभाग्य से वरदान में बदल गया, क्योंकि साथी जजों व बार सदस्यों से अथाह सहयोग मिला। मैं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बेहद आभारी हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय को दूर किया।

- उल्लेखनीय है कि इसी साल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में मौजूदा कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस दिवाकर के नाम की सिफारिश की थी। वे 13 फरवरी को कार्यवाहक चीफ जस्टिस और 26 मार्च को चीफ जस्टिस बने।

जज बनना लक्ष्य नहीं था

चीफ जस्टिस दिवाकर ने कहा, मैंने जज बनने का लक्ष्य नहीं बनाया था, किस्मत मुझे इस ओर ले आई। मुझे लगता है कि अगर आपको अपने पेशे से प्रेम है तो आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकीलों को उनके व्यवहार, गुणवत्ता व वकालत में विद्वता के लिए सराहा।

1/16

दैनिक जागरण

23 NOV 2023

Page No.

'मुझे परेशान करने के लिए स्थानांतरित किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट'

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने आखिरी कार्यदिवस पर बुधवार को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने अपना 'दर्द' सार्वजनिक किया। सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कालेजियम ने उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित किया था। जस्टिस दिवाकर ने कहा, 'ऐसा लगता है कि मेरा ट्रांसफर आर्डर मुझे परेशान करने के गलत इरादे से जारी किया गया था। हालांकि भाग्यवश, यह अभिशाप मेरे लिए वरदान में बदल गया, क्योंकि मुझे यहां न्यायाधीशों के साथ-साथ बार के सदस्यों से भी अथाह प्यार, समर्थन और सहयोग मिला।'

प्रीतिंकर दिवाकर ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अपने स्थानांतरण को अचानक हुआ घटनाक्रम बताया और कहा कि उन पर इस 'अतिरिक्त स्नेह' की बारिश का कारण उन्हें अब भी पता नहीं है। उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद दिया। सीजेआइ चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कालेजियम ने ही उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। जस्टिस दिवाकर ने कहा, 'जीवन एक परीक्षा है, परिणाम नहीं। वास्तव में कर्म ही इसका निर्णय करता है।

2

जनसत्ता

2 3 NOV 2023

Page No. 17

विदाई समारोह में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का छलका दर्द

2018 में छत्तीसगढ़ से स्थानांतरण परेशान करने के लिए किया गया था

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 नवंबर।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने विदाई भाषण में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उनका स्थानांतरण परेशान करने के लिए किया गया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कालेजियम ने उनका स्थानांतरण किया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को न्यायमूर्ति दिवाकर की सेवानिवृत्ति पर एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इसमें न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके स्थानांतरण का आदेश गलत इरादे से जारी किया गया। ऐसे मौके पर किसी न्यायाधीश द्वारा ऐसी टिप्पणी करना असामान्य है।

दिवाकर ने कहा कि 31 मार्च, 2009 को मेरी प्रोन्नति पीठ पर हुई। मैंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के तौर पर अक्तूबर, 2018 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मेरे कार्यों से सभी संतुष्ट थे। अचानक प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने मुझ पर अधिक ही प्यार दिखाया जिसकी वजह मुझे अब भी नहीं पता। उन्होंने मेरा स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया जहां मैंने तीन अक्तूबर, 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। मेरा स्थानांतरण आदेश मुझे परेशान करने के इरादे से जारी हुआ प्रतीत हुआ।

हालांकि, यह मेरे लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि मुझे मेरे साथी न्यायाधीशों और बार के सदस्यों की तरफ से जबरदस्त सहयोग और समर्थन मिला। इस साल की शुरुआत में, न्यायमूर्ति दिवाकर के नाम की सिफारिश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाले कालेजियम द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए की गई और न्यायमूर्ति दिवाकर को 13 फरवरी, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

उन्होंने 26 मार्च, 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा कि मैं मौजूदा प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का अत्यधिक आभारी हूं जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय को सुधारा। न्यायमूर्ति दिवाकर ने यह सुझाव भी दिया कि आलोचकों को किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले खामियों को जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी खास निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जहां तक संभव हो, इस संस्थान में मौजूद खामियों को भीतर से अवश्य देखना चाहिए और समस्या में ही समाधान निहित है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने 'गलत इरादे' से स्थानांतरण का आरोप लगाया

नई दिल्ली, 22 नवंबर (ब्यूरो)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने विदाई भाषण में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उनका स्थानांतरण परेशान करने के लिए किया गया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कालेजियम ने उनका स्थानांतरण किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को न्यायमूर्ति दिवाकर की सेवानिवृत्ति पर एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इसमें न्यायमूर्ति दिवाकर ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके स्थानांतरण का आदेश गलत इरादे से जारी किया गया।

-पूरी खबर पेज 17

3

जनसत्ता

23 NOV 2023

Page No. 3, 8

'इंडिया' के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर जवाब के लिए समय दिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 22 नवंबर।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अनेक विपक्षी दलों को उस याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया जिसमें उन्हें अपने गठबंधन का संक्षिप्त नाम 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) .इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को भी जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी दल 'इंडिया' संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल कर 'हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ' उठा रहे हैं। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से कहा कि हमें अपना जवाब देने के एक सप्ताह से दस दिन का समय और चाहिए।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक समेत नौ राजनीतिक दलों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका के खिलाफ 'प्रारंभिक आपत्तियां' हैं और उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे को पहले ही देख चुका है। पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था कि याचिका विचारणीय नहीं है। पीठ में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा भी शामिल रहीं।

पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए चार जनवरी की तारीख तय की। याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज ने उच्च न्यायालय में संपर्क किया था और 26 राजनीतिक दलों द्वारा संक्षिप्त नाम 'इंडिया' के इस्तेमाल और इसके साथ राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग पर भी रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा

हम पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार

जनसत्ता संवाददाता
हरिद्वार, 22 नवंबर।

सुप्रीम द्वारा पतंजलि को अपनी दवाओं से बीमारियों को ठीक करने के बारे में दावे करने को लेकर दी गई चेतावनी के बाद बुधवार को योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि वे अपना पक्ष रखने के लिए पहली बार कोर्ट में पेश होंगे और तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखेंगे।

उन्होंने हरिद्वार में कहा कि नामचीन फार्मा कंपनियां और ड्रग माफिया पतंजलि योगपीठ आयुर्वेद भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए लगातार 30 वर्षों से साजिश करते आ रहे हैं। वे भारतीय कानून और अदालत का पूरा सम्मान करते हैं। अब अपनी बात अदालत के सामने तथ्यों के साथ रखेंगे और आखिर में जीत हमारी होगी।

> *उन्होंने* कहा कि हम आज भी आयुर्वेद और योग पर अपने दावे पर अडिग हैं और अगर न्यायालय इसके लिए हमें करोड़ों रुपए के जुर्माने के साथ फांसी पर भी लटकाए तो हम इसके लिए तैयार है।

उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को गैर जिम्मेदाराना संगठन करार देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय यदि हमें भी इस संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका देगा तो मैं स्वयं न्यायालय के सामने पूरे तथ्यों, क्लीनिकल साक्ष्यों और वैज्ञानिक शोध पत्रों के साथ पेश होने को तैयार हूं।

हम इस बारे में पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम आज भी अपने दावे पर अडिग हैं और अगर न्यायालय इसके लिए हमें करोड़ों रुपए के जुर्माने के साथ फांसी पर भी लटकाए तो हम इसके लिए तैयार है।

जनसत्ता

23 NOV 2023

Page No. 17

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने कहा, चुनाव पूर्व मुफ्त उपहारों का वादा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 नवंबर।

उच्चतम न्यायालय से बुधवार को कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव पूर्व मुफ्त उपहार देने का वादा एक भ्रष्ट आचरण है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिश्वत है जो चुनाव को अमान्य घोषित करने का आधार है।

तीन-न्यायाधीशों की पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनमें चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा इस तरह के वादों का विरोध किया गया है। याचिकाओं में निर्वाचन आयोग को इन पार्टियों के चुनाव चिह्नों को जब्त करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य के मामले में शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2013 में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने 2013 के अपने फैसले में कहा था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में दिए गए मापदंडों की जांच और विचार करने के बाद, वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को भ्रष्ट आचरण घोषित करने के लिये धारा 123 के तहत नहीं पढ़ा जा सकता है। हंसारिया ने पीठ के समक्ष कहा कि एस सुब्रमण्यम बालाजी मामले में शीर्ष अदालत का फैसला सही कानून नहीं बनाता है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। हंसारिया ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत 'रिश्वत' को.... भ्रष्ट आचरण माना जाता है।

5

हिंदुस्तान

23 NOV 2023

Page No. 7, 17,

अगर कमा सकते हैं तो साथी पर बोझ न डालें : हाईकोर्ट

टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कमाने में सक्षम पति-पत्नी को खर्चों का बोझ अपने जीवनसाथी पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक पति या पत्नी जिसके पास कमाने की उचित क्षमता है, लेकिन वह बेरोजगार रहकर दूसरे साथी पर अपने खर्चों की जिम्मेदारी डालना सही नहीं है।

उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिए पत्नी को दिए जाने वाले मासिक भरण-पोषण की राशि को 30 हजार रुपये से घटाकर 21 हजार रुपये करते हुए यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला ने दावा किया है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के कारण उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि उचित है। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि ऐसे पति या पत्नी जिनके पास कमाने की उचित क्षमता है, लेकिन जो बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने की एकतरफा जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निचली अदालत ने व्यक्ति को अलग रह रही पत्नी को 30 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता और 51 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया था। पहले निचली अदालत ने उनसे महिला को 21 हजार रुपये मासिक भुगतान करने को कहा था।

भरण-पोषण का प्रावधान लैंगिक रूप से तटस्थ

पीठ ने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत भरण-पोषण का प्रावधान लैंगिक रूप से तटस्थ है। अधिनियम की धाराओं 24 और 25 के तहत दोनों पक्षों के बीच विवाह अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

परेशान करने के लिए किया ट्रांसफर: जस्टिस प्रीतिंकर

2018 में गलत इरादे से स्थानांतरण का आरोप लगाया

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने अपने विदाई समारोह में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से उनका स्थानांतरण 'परेशान' करने के लिए किया गया था। उनका स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने किया था।

हाईकोर्ट में गत्त दिवस सेवानिवृत्ति पर आयोजित फुलकोर्ट रेफरेंस में न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि मैंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के तौर पर अक्तूबर 2018 तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मेरे कार्यों से सभी संतुष्ट थे। अचानक भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र ने मुझ पर अधिक प्यार दिखाया जिसकी वजह मुझे अब भी नहीं पता। उन्होंने मेरा स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया, जहां 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। मेरा स्थानांतरण आदेश मुझे परेशान करने के इरादे से जारी हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि यह मेरे लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि मुझे साथी न्यायाधीशों का जबरदस्त सहयोग और समर्थन मिला।

6

हिंदुस्तान

23 NOV 2023

Page No. 0, 5, 3

पीएमएलए प्रावधान साजिश के आरोप पर लागू नहीं: कोर्ट

टिप्पणी

- ईडी की शक्तियों को कोर्ट में चुनाती दी गई
- जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कहा कि यदि कथित साजिश पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है तो ईडी आईपीसी की धारा 120बी का आरोप लगा पीएमएलए प्रावधानों को लागू नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए की।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें संशोधन याचिका मिली है जो पीएमएलए के तहत हर प्रावधानों को चुनौती देती है। हम याचिका में उस संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यदि वह (याचिकाकर्ता) धारा-50 और 63 तक सीमित है, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यदि वह पूरी बात पर बहस करने जा रहे हैं, जो एक प्रस्तावित संशोधन पर आधारित है, तो मैं उस संशोधन का विरोध करूंगा। ऐसे में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए।

पीठ ने कहा कि हमें देखना होगा कि क्या मामले को पांच न्यायाधीशों के पास जाने की जरूरत है' जस्टिस कौल ने कहा कि अगर वे (याचिकाकर्ता) याचिका में संशोधन कर रहे हैं, तो आपको जवाब दाखिल करना होगा।'

सत्येंद्र जैन की याचिका पर भाजपा नेता से जवाब मांगा

मानहानि मामला

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर जवाब मांगा।

कोर्ट ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी से बुधवार को जवाब मांगा। गोस्वामी ने सत्येंद्र के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल कराया था, जिस पर निचली अदालत ने जैन को समन जारी किया है। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस समय निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह कार्यवाही पर रोक लगाने को आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें उनकी दलील सुनने की जरूरत और निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखना होगा। उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई-14 दिसंबर को होगी।

केंद्र-दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी

नई दिल्ली, प्र. सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार दिसंबर को रामलीला मैदान में बड़ी जनसभा आयोजित करने के लिए अनुमति संबंधी याचिका पर बुधवार को केंद्र, दिल्ली पुलिस और एमसीडी से जवाब मांगा है।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि उसे एक अन्य संगठन से रामलीला मैदान में तीन से पांच दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित करने का आवेदन मिला है। इसके लिए एनओसी दे चुका है। पीठ मिशन सेव कांस्टीट्यूशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

बचाव पक्ष को दस्तावेज दें : अदालत

- आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया
- पूर्व उपमुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को बुधवार को सीबीआई से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह आवश्यक दस्तावेज बचाव पक्ष को उपलब्ध कराए। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत के समक्ष सीबीआई ने कहा कि बचाव पक्ष इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी करा रहा है। वहीं, बचाव पक्ष का कहना था कि उन्हें आरोपपत्र से संबंधित पूरे दस्तावेज नहीं मिले हैं। ऐसे में वह अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। सुनवाई में देरी की वजह खुद सीबीआई है, क्योंकि वह अपनी जांच और आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेज आरोपी पक्ष को देने में देरी कर रही है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की है। साथ ही, सीबीआई को कहा कि वह आवश्यक दस्तावेज बचाव पक्ष को उपलब्ध कराए।

इसी केस से जुड़े धनशोधन मामले में मनीष सिसोदिया को मंगलवार को भी अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। दोनों ही मामलों में बचाव पक्ष का कहना है कि उन्हें सिसोदिया पर लगे आरोपों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

7

हिंदुस्तान

Page No. 14, 10

23 NOV 2023

बीमा मूल्य से अधिक का दावा नहीं कर सकते: कोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में 'दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार के बदलने की मांग खारिज करते हुए कहा कि बीमाधारक बीमा पॉलिसी के तहत कवर की रकम से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है।'

- दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार को बदलने की मांग सुप्रीम कोर्ट से खारिज

शीर्ष अदालत ने राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कंपनी और कार निर्माता कंपनी को क्षतिग्रस्त कार के बदले बीमाधारक को नई कार देने के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है। जस्टिस अभय एस. ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 'बीमाधारक बीमा पॉलिसी के तहत घोषित बीमा मूल्य (आईवीडी) से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तें, जो बीमा कंपनी की देनदारी तय करती है को सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि 'कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम का नियम बीमा अनुबंध जैसे वाणिज्यिक अनुबंध की तरह लागू नहीं होगा।'

पीठ ने वाहन मालिक को बीमाकर्ता द्वारा इसी साल 24 अप्रैल को कोर्ट में जमा की गई 22.09 लाख रुपये और उस पर अर्जित ब्याज सहित वापस लेने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीमाकर्ता कंपनी को 3,74,012 रुपये ब्याज सहित तीन माह में वाहन मालिक को देने का आदेश दिया है।

अनधिकृत पब और बार के संचालन की जांच करें: कोर्ट

नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्पाद शुल्क अधिकारियों से सफदरजंग एन्क्लेव में एक आवासीय क्षेत्र में अनधिकृत पब और बार संचालन के आरोपों की जांच करने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि निरीक्षण में इन परिसरों में कुछ आपत्तिजनक नहीं पाए जाने वाली उत्पाद शुल्क विभाग की रिपोर्ट विश्वास को प्रेरित नहीं करती। पीठ ने दुकानों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के कथित गैर अनुपालन पर चिंता व्यक्त की। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे 24 रेस्तरां को उत्पाद शुल्क लाइसेंस नहीं दिया गया है। एक को छोड़कर, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस पर अदालत ने सवाल किया कि उत्पाद शुल्क विभाग के अनुसार, केवल एक रेस्तरां में शराब कैसे पाई गई?

8

राष्ट्रीय सहारा

23 NOV 2023

Page No. 3, 9

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र से पूछा

क्या एलएमवी चालक खास वजन वाला वाहन चलाने का हकदार है

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस कानूनी सवाल की 17 जनवरी तक समीक्षा करने का बुधवार को निर्देश दिया कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति खास वजन का परिवहन वाहन चलाने का कानूनी रूप से हकदार है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन की कवायद के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी जिसमें समय लगेगा।

पीठ ने कहा, 'हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि वह इस प्रक्रिया को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। चूंकि राज्य सरकार के साथ परामर्श की परिकल्पना की गई है, हम सभी राज्य सरकारों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देते हैं।'

पीठ ने कहा, 'कार्यवाही अब 17 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध की जाएगी, जिस तारीख तक हम उम्मीद करते हैं कि परामर्श पूरा हो जाएगा और केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले आगे के कदमों का एक स्पष्ट रूपरेखा इस अदालत के समक्ष रखी जानी

■ मामले को 17 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश

चाहिए।' शुरुआत में, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र की ओर से एक नोट प्रस्तुत किया और कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए टुकड़ों में संशोधन के बजाय समग्र रूप से स्थिति पर विचार कर रही है।

उन्होंने पीठ से इस बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कार्यवाही स्थगित करने से इनकार कर दिया और मामले को 17 जनवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया। यह भी स्पष्ट किया गया कि मामले के लंबित रहने के दौरान मुकुंद देवांगन मामले में फैसला प्रभावी रहेगा।

शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र सरकार से पूछा था कि इस कानूनी सवाल पर कानून में बदलाव की आवश्यकता है कि क्या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति एक विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने का कानूनी रूप से हकदार है या नहीं। यह देखते हुए कि ये लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दे हैं, पीठ ने कहा था कि सरकार को इस मामले पर 'नए सिरे से विचार' करने की जरूरत है, साथ ही यह भी कहा था कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाए जाने की जरूरत है।

किसी पर खर्च का एकतरफा बोझ नहीं डाल सकते : हाईकोर्ट

■ नई दिल्ली (भाषा)।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कमाने की योग्यता रखने वाले पति या पत्नी को बेरोजगार रहने और खर्च का बोझ अपने जीवनसाथी पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा है कि एक पति या पत्नी जिसके पास कमाने की उचित क्षमता है, लेकिन पर्याप्त स्पष्टीकरण के बिना वह बेरोजगार रहना चाहते है तो उन्हें दूसरे साथी पर भरण-पोषण के खर्चों को पूरा करने की एकतरफा जिम्मेदारी डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा अलग रह रही अपनी पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) के तहत दिए जाने वाले मासिक भरण-पोषण की राशि को 30 हजार रुपये से घटाकर 21 हजार करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि महिला ने दावा किया है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है,

■ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पत्नी को दी जाने वाली मासिक भरण पोषण की राशि 30 हजार से घटाकर 21 हजार करने पर की यह टिप्पणी

लेकिन डीयू से स्नातक होने के कारण उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि उचित है। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति, अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एक पीठ ने कहा कि ऐसे पति या पत्नी जिनके पास कमाने की उचित क्षमता है, लेकिन जो बिना किसी पर्याप्त स्पष्टीकरण या रोजगार हासिल करने के अपने ईमानदार प्रयासों का संकेत दिए बिना बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने की एकतरफा जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।पीठ ने कहा कि एचएमए के तहत भरण-पोषण का प्रावधान लैंगिक रूप से तटस्थ है और अधिनियम की धाराओं 24 और 25 के तहत दोनों पक्षों के बीच विवाह अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का प्रावधान किया गया है।

हाईकोर्ट उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने व्यक्ति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 30 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता और 51 हजार रुपए मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि पहले निचली अदालत ने उनसे महिला को 21 हजार रुपये मासिक भुगतान करने को कहा था, लेकिन बाद में परिस्थितियों में कोई बदलाव किए बिना इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। व्यक्ति ने कहा कि उसे 47,000 रुपये का वेतन मिल रहा है और उसे अपने परिवार का भरण-पोषण करना है और उसके लिए प्रति माह 30 हजार रुपए का भुगतान करना संभव नहीं होगा।

राष्ट्रीय सहारा

23 NOV 2023

Page No. 1, 2

9

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 दिस. तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बुधवार को 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी। सीबीआई ने 26 फरवरी को अब निरस्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने नौ मार्च को आबकारी नीति मामले से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।

द वायर को मुख्य सचिव पर प्रकाशित आलेख हटाने का आदेश

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को समाचार पोर्टल 'द वायर' को निर्देश दिया कि मुख्य सचिव नरेश कुमार पर बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में लांछन लगाने वाले कथित अपमानजनक लेख को हटाया जाए।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एक अंतरिम आदेश में मुख्य सचिव के पक्ष में व्यवस्था दी और समाचार पोर्टल तथा इसके संबंधित संवाददाता को आलेख और अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को भी कहा। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में अंतरिम राहत की मांग वाली अधिकारी की याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। समाचार आलेख के संबंध में नौ नवंबर को मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। आलेख में मुख्य सचिव के बेटे के तार

बामनोली भूमि मामला

■ आदेश में अदालत ने मुख्य सचिव के पक्ष में दी व्यवस्था

कथित रूप से लाभार्थी परिवार से जुड़े होने की बात कही गई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 2018 में 19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। कुमार ने अपनी याचिका में लेख को हटाये जाने और समाचार पोर्टल तथा संवाददाता को उनके खिलाफ अन्य कोई मानिहानिकारक लेख प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया। उनके वकील ने कहा था कि कुमार के खिलाफ लोगों को 'सक्रिय' करने के लिए और 'कुछ लोगों को खुश करने के लिए' यह लेख सुनियोजित तरीके से लिखा गया था। समाचार पोर्टल के वकील ने कहा था कि लेख का मकसद किसी भी तरह कुमार का अपमान करना नहीं था और इसमें केवल कुछ सवाल उठाए गए थे।

मुख्य सचिव ने पोर्टल और संवाददाता को 13 नवम्बर को कानूनी नोटिस भी भेजा था और दावा किया कि लेख की विषयवस्तु पूर्व दृष्टया भ्रामक और असल में मानहानि करने वाली है। खबरों के अनुसार, मई में जमीन का मूल्य 41.52 करोड़ रुपये से बढाकर 353.79 करोड़ रुपये कर दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुआवजा बढाने की मंजूरी देने के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिलाधिकारी हेमंत कुमार के खिलाफ कार्रवाई की थी।

10

राष्ट्रीय सहारा

23 NOV 2023

Page No. 13

पेंशन बुनियादी अधिकार इससे वंचित नहीं कर सकते

मुंबई (भाषा)। बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेंशन एक बुनियादी अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उनके लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। अदालत ने एक व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद दो साल से अधिक समय तक उनका बकाया रोके रखने के लिए

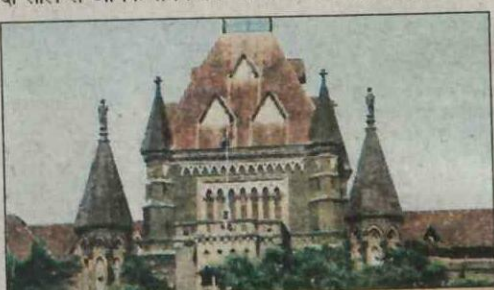

■ व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के बाद दो साल से अधिक समय तक बकाया रोके रखने पर बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार

महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 21 नवंबर को कहा कि ऐसी 'स्थिति पूरी तरह से अतार्किक है।' अदालत जयराम मोरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 1983 से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में 'हमाल' (कुली) के रूप में काम करते थे। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार को उसकी पेंशन राशि जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि मोरे ने सराहनीय और बेदाग सेवा दी है, लेकिन फिर भी उनकी सेवानिवृत्ति (मई 2021) से दो साल की अवधि के लिए तकनीकी आधार पर उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। मोरे ने याचिका में दावा किया कि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पीठ ने कहा, 'मौजूदा कार्यवाही की शुरुआत से, हम सोच रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो लंबी बेदाग सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, क्या उसे लगभग 30 वर्षों की लंबी सेवा प्रदान करने के बाद ऐसी दुर्दशा का सामना करना चाहिए और पेंशन के मूल अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए, जो उसके लिए आजीविका का एकमात्र स्रोत है।'

अनधिकृत पब की जांच करे आबकारी विभाग : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां के आबकारी अधिकारियों से सफदरजंग एन्क्लेव के एक आवासीय क्षेत्र में अनधिकृत पब और बार चलाए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निरीक्षण के दौरान इन परिसरों में 'कुछ भी आपत्तिजनक नहीं' पाए जाने संबंधी आबकारी विभाग की स्थिति रिपोर्ट से 'विश्वास पैदा नहीं होता है।' उन्होंने हुमायूंपुर गांव में भूमिगत तल में संचालित दुकानों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के कथित गैर-अनुपालन पर चिंता व्यक्त की। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि क्षेत्र में 24 रेस्तरां को कोई आबकारी लाइसेंस नहीं दिया गया था और एक को छोड़कर जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, निरीक्षण के दौरान परिसर में शराब नहीं मिली और कुछ रेस्तरां बंद पाए गए।

पंजाब केसरी

23 NOV 2023

Page No. 10

भरण-पोषण मामला | पति की याचिका को स्वीकार करते हुए अंतरिम गुजारा भत्ता कोर्ट ने 30,000 से घटाकर 21,000 किया

जो पति-पत्नी कमा सकते हैं, वो साथी पर न डालें बोझ : एचसी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि एक पति या पत्नी, जिसके पास कमाई की उचित क्षमता है, लेकिन वह बेरोजगार रहने का विकल्प चुनता है, उसे दूसरे पति यापत्नी को रखरखाव के रूप में खर्चों का बोझ डालने की अनुमति नहीं दी जानीचाहिए। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता कीखंडपीठ ने पति द्वारा दायर तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान एक पत्नी को परिवार अदालत द्वारा दिए गए गुजारा भत्ता को कम करते हुए यह टिप्पणी की।

पीठ ने कहा कि ऐसे पति या पत्नी जिनके पास कमाई की उचित क्षमता है, लेकिन जो बिना किसी पर्याप्त स्पष्टीकरण या रोजगार हासिल करने के ईमानदार प्रयासों का संकेत दिए बिना बेरोजगार और निष्क्रिय रहने का विकल्प चुनते हैं,उन्हें दूसरे पक्ष को खर्चों को पूरा करने की एकतरफा जिम्मेदारी देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खंडपीठ ने आगे कहा कि गुजारा भत्ता की राशि की गणना 'गणितीय सटीकता' के साथ नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य पति या पत्नी को राहत प्रदान करना है जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। पीठ ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) के तहत कार्यवाही लंबित रहने के दौरान गुजारा भत्ता का प्रावधान लैंगिक रूप से तटस्थ है और एचएमए की धारा 24और 25 के प्रावधानों में एचएमए के तहतपार्टियों के बीच विवाह से उत्पन्न अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का प्रावधान है। बता दें कि इस मामले में दायर याचिका में पति ने उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उसे तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के दौरानअपनी पत्नी को प्रति माह 30,000 रुपये का भुगतान करने का

निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत उसे अपनी पत्नी को 21,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और एचएमए की कार्यवाही में इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया था। अपनी याचिका में पति ने अपनी कम आय का हवाला देते हुए कहा था कि उसकी पत्नी दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक थी और पहले एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करते हुए 25,000 रुपये कमा रही थी। वही इस दौरान दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि वह केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी और उसे उस अस्पताल से कोई वेतन नहीं मिल रहा था जहां वह काम करती थी। दलीलों और रिकॉर्ड पर विचार करते हुए, अदालत ने पाया कि कटौती और वसूली के बाद पति का वेतन केवल 56,492 रुपये था। अदालत ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने अलग रह रही उसकी पत्नी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को बढ़ाने का कोई कारण नहीं बताया है। कोर्ट ने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों के साथ उनके लंबे समय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

यही नहीं कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी उचित शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, लेकिन उसने स्वेच्छा से सामाजिक कार्य किया है। मामले में कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए अंतरिम गुजारा भत्ता 30,000 रुपये से घटाकर 21,000 रुपये कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर साल गुजारा भत्ता स्वचालित रूप से 1,500 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा।

जैन की याचिका पर कोर्ट ने भाजपा नेता से मांगा जवाब

14 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आप नेता सत्येन्द्र जैन की उस याचिका पर दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी। हालांकि, इस दौरान हाईकोर्ट ने इस स्तर पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि मैं कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आश्वस्त नहीं हूं। मुझे उन्हें सुनने की जरूरत है। मुझे ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। इस दौरान जैन की तरफ से पेश वकील ने हाईकोर्ट से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया क्योंकि शिकायतकर्ता से जिरह के लिए मामला 30 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है।

हाई कोर्ट ने मामले को 14 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले मानहानि शिकायत में आप नेताओं सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा को समन जारी किया था और सत्र अदालत ने 9 नवंबर को इसे बरकरार रखते हुए कहा था कि समन आदेश तथ्यों के साथ-साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी था। जिसके बाद राघव चड्ढा ने पहले ही सत्र न्यायालय के आदेश हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है और इसे 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

12

पंजाब केसरी

23 NOV 2023

Page No. 10

नरेश कुमार को हाईकोर्ट से मिली राहत

समाचार पोर्टल को लेख हटाने का आदेश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक समाचार पोर्टल को द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अपने लेख को हटाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह आदेश कुमार द्वारा समाचार पोर्टल और उसकी रिपोर्टर क के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद पारित किया गया। बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव ने समाचार पोर्टल को लेख हटाने और भविष्य में उनके खिलाफ कोई मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित नहीं करने का निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साथ ही ट्विटर और गूगल को भी यह निर्देश देनेकी मांग की गई थी कि वे स्टोरी के पोस्ट या लिंक या संदर्भों को हटा दें। इससे पहले समाचार पोर्टल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे के लाभार्थियों के परिवार से जमीन के अधिक मूल्यांकन के मामले में संबंध पर सवाल उठाए थे और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कि नरेश कुमार के बेटे करणचौहान का एक परिवार के साथ संबंध था, जिसे बढ़े हुए मुआवजे का लाभ मिला, जब दिल्ली के बामनोली गांव में 19 एकड़ जमीन का एनएचएआई द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण किया गया था। जिसके बाद नरेश कुमार ने हाईकोर्ट में समाचार पोर्टल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

बृजभूषण सिंह के वकील ने कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की ओर से उनके वकील बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता पहलवानों की ओर से लिखित दलीलें पेश करने के लिए उनके वकील को 28 नवंबर तक का समय दिया है।

इस दौरान कोर्ट ने बहस के लिए तय की गई 23 और 24 नवंबर की तारीखें रद्द करते हुए कहा कि अब शिकायतकर्ताओं की ओर से लिखित दलील दाखिल होने के बाद ही आरोप तय करने पर बहस के लिए नई तारीख तय की जाएंगी। इस पहले पिछली सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया था और कहा था कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्रधिकार इस अदालत के पास नहीं है।

13

अमर उजाला

23 NOV 2023

Page No. 9

कमाने की क्षमता तो नहीं दिया जाना चाहिए भरण-पोषण खर्च : हाईकोर्ट

पति की याचिका मंजूर, पत्नी के गुज़ारा भत्ते को किया कम

कहा, हिंदू विवाह अधिनियम में भरण पोषण प्रावधान लैंगिक समानता

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंपती में कमाने की क्षमता है, लेकिन उनमें से कोई काम रहना नहीं चाहता है तो भरण-पोषण का खर्च साथी पर डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने एक पारिवारिक अदालत की ओर से महिला को पति द्वारा दायर तलाक की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिए गए गुजारा भत्ते को कम करते हुए यह टिप्पणी की।

न्यायालय ने कहा कि भरण-पोषण की राशि की गणना गणितीय परिशुद्धता के साथ नहीं की जानी चाहिए, बल्कि पति या पत्नी को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में पति ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें तलाक की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पत्नी को प्रति माह 30,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

पति के वकील ने तर्क दिया कि उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी को 21,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था और एचएमए कार्यवाही में इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया था।

अपनी कम आय का हवाला देते हुए पति ने कहा कि उसकी पत्नी दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक है और एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करते हुए 25,000 कमाती है।

पहलवानों का यौन उत्पीड़न : अदालत आरोप तय करने पर 28 को करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। अदालत छह महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 28 नवंबर तय की है।

30 अक्तूबर को पिछली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने पक्षों के वकीलों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था ताकि उन्हें व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया जा सके। बुधवार को आरोपी सिंह के वकील ने जवाब दाखिल किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही 28 नवंबर तय कर दी। इससे पहले आरोपी ने मामले की सुनवाई करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था। दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354, 354 ए, 506 के तहत केस दर्ज किया था। डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप पत्र दायर किया था। ब्यूरो

14

अमर उजाला

2 3 NOV 2023

Page No. 11

नशे में अपराध होने का तर्क दे सजा से नहीं बचा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के उम्रकैद की सजा वाले आदेश के खिलाफ अपील खारिज

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नशे में अपराध होने का तर्क देकर सजा से आसानी से नहीं बचा जा सकता।

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए कहा कि यह तर्क सिर्फ उस स्थिति में ही मान्य होगा, जब यह साबित किया जाए कि अपराध करने वाला अपनी परिस्थिति के चलते अपराध की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को गोली मारने के लिए उसे दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने दोषी की यह दलील खारिज कर दी कि घटना के वक्त (30 मई, 2007) वह भारी नशे में था और इस वजह से यह भी जानने की स्थिति में नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि महेंद्र और नन्हे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। अन्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी नन्हे वहां से चला गया। लेकिन घटनास्थल से 15 से 20 कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो दूसरे व्यक्ति सद्दाम हुसैन को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 86 आरोपी को नशे और अपने कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थता के कारण अपराध से बरी कर देती है।

चुनाव पूर्व मुफ्त सुविधाओं का वादा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भ्रष्ट आचरण

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने का वादा करना भ्रष्ट आचरण है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिश्वत है और इसे चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार माना जा सकता है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर विचार-विमर्श कर रही थी। याचिका में चुनाव आयोग को इन पार्टियों के चुनाव चिह्नों को जब्त करने और उनका पंजीकरण रद्द करने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। एजेंसी

समय पूर्व रिहाई पर विचार नहीं किया, यूपी के गृह सचिव तलब

नई दिल्ली। एक कैदी की समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने के आदेश का पालन नहीं करने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को तलब किया है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने कहा, राज्य के हलफनामे पर गौर किया। पाया कि 25 सितंबर के हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ है। आदेश में सरकार को कैदी संतोष कुमार सिंह के आवेदन पर नीति के तहत विचार करने के लिए कहा गया था। आदेश नहीं मानने से नाराज पीठ ने राज्य के गृह सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत या वर्चुअल तौर पर उपस्थित रहने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता कैदी की पत्नी की सर्जरी 24 नवंबर को होनी है। इस पर पीठ ने राज्य सरकार को दस्तावेज का परीक्षण करने के लिए कहा। पीठ ने कैदी के दायर अंतरिम जमानत के आवेदन पर सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की। ब्यूरो

15

अमर उजाला

Page No. 1/13/15 23 NOV 2023

पेंशन बुनियादी अधिकार, इसके भुगतान से नहीं किया जा सकता इन्कार : हाईकोर्ट

सेवानिवृत्ति के दो वर्ष बाद तक रोकी पेंशन, महाराष्ट्र सरकार को फटकार

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन एक बुनियादी अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसके भुगतान से वंचित नहीं किया जा सकता। यह उनके लिए आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के बकाया को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष से अधिक समय तक रोके रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई।

जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति पूरी तरह अतार्किक है। हाईकोर्ट मंगलवार को जयराम मोरे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो 1983 से सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में कुली के रूप में काम करते थे।

याचिका में महाराष्ट्र सरकार को उनकी पेंशन राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मोरे ने सराहनीय और बेदाग सेवा प्रदान की है, लेकिन फिर भी उनकी सेवानिवृत्ति (मई 2021) से दो वर्ष की अवधि के लिए अस्थिर और तकनीकी आधार पर उन्हें पेंशन भुगतान नहीं किया गया। मोरे ने याचिका में दावा किया कि विश्वविद्यालय की ओर से राज्य सरकार के संबंधित विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के बावजूद उन्हें पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा है। एजेंसी

सिर्फ आपराधिक साजिश का आरोप लगा कर चोरी के मामले में पीएमएलए लागू नहीं हो सकता : शीर्ष कोर्ट

अधिनियम के कड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई आज भी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आपराधिक साजिश का आरोप लगा कर चोरी के मामले में पीएमएलए लागू नहीं किया जा सकता।- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर चोरी के मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) लागू नहीं कर सकता, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत यह पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं हैं।

केंद्र ने जताई आपत्ति...केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं के याचिकाओं में संशोधन के माध्यम से सुनवाई का दायरा बढ़ाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। एसजी ने कहा कि कुछ प्रावधानों, जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, अब पूरे अधिनियम को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। यदि न्यायालय इस तरह के संशोधन की अनुमति दे रहा है तो सरकारी अथॉरिटी को जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता होगी।

पीठ पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि कर चोरी के मामलों में ईडी आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर पीएमएलए लागू कर रही है। आईपीसी की धारा 120बी, जो आपराधिक साजिश के लिए सजा तय करती है, पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध है। सिब्बल की दलील पर अदालत ने कहा कि पीएमएलए लागू करने के लिए कर चोरी के मामलों को आपराधिक साजिश के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर प्रवर्तन निदेशालय कहता है कि गैर-अनुसूचित अपराध में 120 बी आईपीसी जोड़कर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पीएमएलए के तहत संज्ञान लिया जा सकता है, तो यहां एक मुद्दा है। जब तक मूल अपराध को शामिल नहीं किया जाता है, तब तक 120 बी के प्रावधान इसे मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं बनाएगा। सिब्बल ने मामले को पांच जजों की बेंच को सौंपने का आग्रह किया। सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी। ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने दी सफाई

कोई भ्रामक प्रचार नहीं किया, दोषी पाए जाने पर मौत की सजा के लिए भी तैयार

देहरादून। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के एक दिन बाद बुधवार को बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि वह अपने उत्पादों के संबंध में कोई झूठा विज्ञापन या प्रचार नहीं कर रही है। अगर उसके दावे भ्रामक पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाए या फिर मौत की सजा दे, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

पतंजलि आयुर्वेद ने कहा, उसके पास एक करोड़ से अधिक लोगों का रिकॉर्ड है। इसमें दुनियाभर के वास्तविक साक्ष्य मौजूद हैं। एक दिन पहले ही शीर्ष कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को आगाह किया था कि वह कई बीमारियों के इलाज में अपनी दवाओं को लेकर झूठे और भ्रामक विज्ञापन न दिखाएं। हरिद्वार में रामदेव ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देता तो वह खुद अपने दावों के समर्थन में सभी तथ्यों, क्लिनिकल साक्ष्यों और वैज्ञानिक शोध पेपर के साथ पेश होने को तैयार हैं।

पतंजलि में निजी हित को कोई स्थान नहीं

रामदेव ने कहा, पतंजलि योग और आयुर्वेद के साथ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज व राष्ट्र सेवा का जनआंदोलन चला रहा है। यहां निजी हित को कोई स्थान नहीं है। सबकुछ समाज व सेवा व राष्ट्र के लिए है। इसी तरह से पतंजलि को डिजाइन किया गया है।

सालाना टर्नओवर एक लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य...पतंजलि का सालाना टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने आने वाले समय में एक लाख करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। कंपनी के इस लक्ष्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। पतंजलि जल्द ही अपने उत्पादों के बारे में कई बड़े फैसले ले सकती है। ब्यूरो

16

नवभारत टाइम्स

23 NOV 2023

Page No. 1, 5

SC बोला, मनी लॉन्ड्रिंग हो तभी PMLA केस

Rajesh.Choudhary@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) का केस तब तक नहीं बना सकता है जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित न हो। कोर्ट पीएमएलए के तहत ईडी को दी गई शक्तियों को बरकरार रखने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पीएमएलए कानून को वैध करार दिया था। इसके तहत ED को अधिकार है कि वह संपत्ति को अटैच कर आरोपी की गिरफ्तारी कर सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है। याची की तरफ से दलील दी गई कि ED इनकम टैक्स से संबंधित मामलों में भी पीएमएलए केस दर्ज कर रही है जो गलत है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।

ईडी बेलगाम घोड़ा बन चुका है : याची

याची के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी बेलगाम घोड़ा बन गया है। जब ईडी बुलाता है तो पता नहीं होता कि बतौर आरोपी बुलाया या बतौर गवाह। रिमांड के दौरान आरोपी को पता चलता है कि चार्ज क्या है। उसकी अग्रिम बेल का चांस खत्म हो जाता है। यह जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

कमाने की योग्यता हो तो नहीं डाल सकते गुज़ारा भत्ते का बोझः HC

■ **विशेष संवाददाता, नई दिल्ली**

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कमाने की योग्यता रखने वाले पति या पत्नी को बेरोजगार रहने और खर्चों का बोझ अपने जीवनसाथी पर डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि एक पति या पत्नी, जिसके पास कमाने की उचित क्षमता है, लेकिन बिना किसी साफ कारण के बेरोजगार रहना चाहता या चाहती है तो उन्हें दूसरे साथी पर भरण-पोषण के खर्च पूरा करने की एकतरफा जिम्मेदारी डालने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

> 'खर्च का बोझ जीवनसाथी पर डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती'

हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ अलग रह रही पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दिए जाने वाले मासिक खर्च की राशि को 30,000 रुपये से

घटाकर 21,000 रुपये कर दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला ने दावा किया है कि उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएट होने के कारण उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक है। जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

इस मामले में एक शख्स ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने उसे अलग रह रही पत्नी को 30,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता और 51,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया था। पहले निचली अदालत ने उसे पत्नी को 21,000 रुपये मासिक भुगतान करने को कहा था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। शख्स ने कहा कि उसे 47,000 रुपये का वेतन मिल रहा है और उसे अपने परिवार का भरण-पोषण करना है। उसके लिए हर महीने 30,000 रुपये का भुगतान करना संभव नहीं होगा। दावा किया कि महिला यहां एक अस्पताल में काम करती थी और 25,000 रुपये महीना कमाती थी।

महिला ने कोर्ट से कहा कि वह केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। वह अस्पताल से कोई वेतन नहीं ले रही थी। इन दोनों ने 2018 में शादी की थी लेकिन उनके बीच मतभेद के कारण महिला जुलाई 2020 में अपने माता-पिता के घर लौट आई थी।